


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIAN NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 368154

- 1 SEP 2000



विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 29 माह 9 वर्ष 2000

की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है" और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिणी है और सम्मिलित हैं।

कमशः 2 पर

केता




विक्रम

(2)

एक पक्ष और मेसर्स सामिया इन्टरनेशनल विल्डर्स प्रा०लि० द्वारा आमिर जमाल खान पुत्र श्री जमाल रशीद खान वर्तमान पता- 2nd, फ्लोर राजा राम कुमार प्लाजा, 75, हजरतगंज, लखनऊ जिसके एतदपश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि :-

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या-1 नामक मुहल्ले के सेक्टर 6C में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या- 6C/GH-1 का निर्माण व्यय है और चूंकि उक्त परिषद ने रू० 5,90,14,080.00 (रू० पाँच करोड़ नब्बे लाख चौदह हजार अस्सी मात्र) जिसका आधा रू० 2,95,07,040.00 (रू० दो करोड़ पच्चाब्बे लाख सात हजार चालीस मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या-6C/GH-1) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतदपश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन कय करने के लिए सहमत है। अतएव अब रू० 5,90,14,080.00 (रू० पाँच करोड़ नब्बे लाख चौदह हजार अस्सी मात्र) की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए इसमें एतद द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना (सम्पत्ति सं० 6C/GH-1) जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:-

कमशः 3 पर


क्रेता


विक्रेता

(3)

(1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

(2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

(3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया जाना है।

(4) इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

(5) यदि इच्छुक क्रेता एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

(6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछे नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं :-

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

कमशः 4 पर

विक्रेता

(4)

(7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ कय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनिघम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या - 6C/GH-1) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 24%(चौबीस प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

(8) पंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा।

(9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या- 6C/GH-1 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

(10) क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।

कमशः 5. पर

विक्रेता

(5)


जिसके साक्ष्य में श्री रामेश्वर प्रसाद, सहायक आवास आयुक्त ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और सामिया इन्टर नेशनल बिल्डर्स प्राइवेट लि० द्वारा श्री आमिर जमाल खान आशयिता संख्या-6C/GH-1 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के केता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।


नोट:- (1) उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 6C/GH-1 का कुल मूल्य रू० 5,90,14,080.00 ब्याज/अतिरिक्त ब्याज रू० 60,79,025.00 कुल रू० 6,50,93,105.00 मेसर्स सामिया इन्टरनेशनल बिल्डर्स प्रा० लि० द्वारा परिषद को भुगतान किया गया है।

नोट:- (2) उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के विक्रय विलेख में प्रयुक्त स्टाम्प एक्ट की धारा 10A के अधीन जिलाधिकारी(म०) लखनऊ के आदेश सं० 1679 दि० 21.08.2007 के क्रम में राजकीय व्यवसायिक शाखा स्टेट बैंक आफ इण्डिया के चालान संख्या 15839209/543 दिनांक 20.09.2008 के विरुद्ध मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ द्वारा दिनांक 08.04.2008 को निर्गत रू० 45,56,600.00 का स्टाम्प प्रमाण पत्र व रू० 100.00 के जनरल स्टाम्प पेपर मूलरूप में संलग्न किये जा रहे हैं।

नोट:- (3) अतः शासनादेश सं० वि० क० नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 के अन्तर्गत 7 % की दर से स्टाम्प रू० 45,56,700.00 के स्टाम्प पेपर पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

कमशः 6 पर


अमिन खान


विक्रेता

(6)

अनुसूची "क"
विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

सम्पत्तिसं०	श्रेणी	ग्रुप	हाउसिंग	भूखण्ड	क्षेत्रफल	वर्ग	मीटर
सीमाएँ:	उत्तर-पूर्व	18.00	मी०	चौड़ी रोड	उत्तर-पूर्व	80.00	मीटर
	दक्षिण-पश्चिम	व्यवसायिक	भूखण्ड सं०	6C/COM-2	दक्षिण-पश्चिम	80.00	मीटर
	पूर्व-दक्षिण	ग्रुप हाउसिंग	भूखण्ड सं०	6C/GH-2	पूर्व-दक्षिण	93.00	मीटर
	पश्चिम-उत्तर	24.00	मी०	चौड़ी रोड	पश्चिम-उत्तर	93.00	मीटर

1-साक्षी:1-हस्ताक्षर
2-नाम
3-पता

[Handwritten signature]

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

2-साक्षी:1-हस्ताक्षर
2-नाम
3-पता

[Handwritten signature]

[Fingerprint]
साक्षी (आवास आयुक्त)

विक्रेता

1-साक्षी:1-हस्ताक्षर
2-नाम
3-पता

[Handwritten signature]
अजय कुमार
राजा जी प्लाजा लखनऊ

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

2-साक्षी:1-हस्ताक्षर
2-नाम
3-पता

[Handwritten signature]
श्री रशीद खान

1-हस्ताक्षर

2-नाम सामिया इन्टर नेशनल लि० द्वारा श्री आमिर
श्री रशीद खान

3-पता सामिया हाउस, ॥ पलोर राजा राम
कुमार प्लाजा, 75, हजरतगंज,
लखनऊ।

3-पता *[Handwritten signature]*
आजाद कार (आलम का)
लखनऊ

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
CONSTRUCTION DIVISION-15
U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD
VRUNDAVAN YOJNA, RAEBARELI ROAD, LUCKNOW


SITE PLAN OF... G.C./G.H.-01

VRUNDAVAN YOJNA No.-1

ALLOTTED TO SR/SMT-... M/S... SAMIAH INTERNATIONAL
BUILDERS PVT. LTD.

PLOT SIZE... 80.00 M X 93.00 M

PLOT AREA .. 7440.00 SQM



[Signature]
25/9/08
D/MAN

[Signature]
25/9/08
J.E.

[Signature]
Rishabh
A.E.

[Signature]
विशाल

[Signature]
ALLOTTEE
25/9/08

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए, के अनुपालन
हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता का नाम व पता :- शेखर रमिप्रिय इन्टरनेशनल लिमिटेड 510 लिफ्ट 5/1/1

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :- आमिर जमाल खान 510 फ्री जमाल रशीद खान



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




प्रस्तुतकर्ता/क्रेता के हस्ताक्षर शेखर

विक्रेता का नाम व पता :- श्री राधेश्वर पुडाद सहायक आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ
बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



शेखर
विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता